

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

http://rajpatrahimachal.nic.in

## राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 02 जुलाई, 2020/11 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 मई, 2020

संख्याः 1—58/69—फिन(एल०ए०)-1411.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1—58/69—फिन (एल०ए०) पार्ट (1), दिनांक 04 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित तथा समसंख्यक अधिसूचना

0

संख्या दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 व दिनांक 09 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप–िनदेशक / उप–िनयन्त्रक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप–निदेशक / उप–नियन्त्रक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. उपा**बन्ध "क" के स्तम्भ 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक / उप–नियन्त्रक, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2009 के उपाबन्ध "क" में :—

स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--"8 (आठ)"

> आदेश द्वारा, हस्ताo/— प्रधान सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated 11-5-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## STATE AUDIT DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-171009, 11th May, 2020

- Endst. No. 1-58/69-Fin(LA),-1411.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1), dated 04-03-2009 and further amended vide this Department Notifications of even number, dated 30-12-2016 and 09-01-2018, namely:—
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2020.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.
- 2. Amendment of the column 2 of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009:

For the existing provisions against column No. 2, the following shall be substituted, namely:—"8 (Eight)"